संख्या-256/2018/1756/पॉच-6-18-3(बजट)/18

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण मद के अन्तर्गत लैप्स धनराशि रू0-12.86 लाख को पुन: अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4769/17फ/नि0नि0अ0/2018-19 दिनांक 29.05.2018 तथा शासनादेश संख्या-159/2018/131/पॉच-6-18-03(बजट)/18, दिनांक 29.03.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 29.03.2018 द्वारा जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुवारका, जनपद रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला-भेला एवं ललितपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमश: डोंगराकला एवं गोना कुसमाड़ में सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य विभागीय अभियंत्रण इकाई के माध्यम से कराये जाने हेतु कुल रू0-72.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0-36.41 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- अतएव आपके उक्त पत्र दिनांक 29.05.2018 के प्रस्तावानुसार जनपद ललितपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगराकला एवं गोना कुसमाड़ में सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य कराये जाने हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार क्रमश: रू0-6.34 लाख एवं रू0-6.52 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-12.86 लाख (रूपये बारह लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-159/2018/131/पॉच-6-18-03(बजट)/18, दिनांक 29.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित करेगें कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
3. यह सुनिश्चित करेगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-789- अनुसूचित जातियों के लिए घटक योजना-05 -प्राथ0/सामु0स्वा0केन्द्र व उपकेन्द्रों पर जलसम्पूर्ति, विद्युतिकरण एवं नवीनीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जाएगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन एवं समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27.03.2015 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-256/2018/1756(1)/पॉच-6-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, ललितपुर।

4- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

9- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

10-विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-256/2018/1756/पांच-6-2018-03(बजट)/18 तददिनांक 12 जुलाई, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	लैप्स धनराशि	पुनः अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5		6
1	ललितपुर	प्राथ0स्वा0 केन्द्र डोंगराकला का सुदृढ़ीकरण का कार्य	12.68	6.34	6.34	6.34
2	ललितपुर	प्राथ0स्वा0 केन्द्र कुसमाड़ का सुदृढ़ीकरण का कार्य	13.05	6.52	6.52	6.52
		कुल योग-	**25.73**	**12.86**	**12.86**	**12.86**

(रू0 बारह लाख छियासी हजार मात्र)

हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।